

**12.02 hrs**

**Papers Laid on the Table of the House by Ministers/Members**

**माननीय सभापति:** अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर ? 2, डॉ. जितेंद्र सिंह जी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह) : माननीय सभापति महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत कर्मयोगी भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 3042/18/25]

? (व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा) : माननीय सभापति महोदय, मैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 105 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (समूह 'क' पद) भर्ती (दूसरा संशोधन) नियम, 2025, जो दिनांक 1 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.436(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2025, जो दिनांक 11 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.378(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 3043/18/25]

? (व्यवधान)

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश चंद्र दुबे) : माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) का.आ.1327(अ) जो दिनांक 19 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्रत्यायित निजी अन्वेषण अभिकरणों को अधिसूचित करने के दिशानिर्देशों के अनुसार, मेसर्स माइनिंग एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड को उसमें उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यक्षीन, "श्रेणी 'क' अन्वेषण अभिकरण" के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।
- (दो) का.आ.1328(अ) जो दिनांक 19 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्रत्यायित निजी अन्वेषण अभिकरणों को अधिसूचित करने के दिशानिर्देशों के अनुसार मेसर्स जियो मरीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को उसमें उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यक्षीन "श्रेणी 'क' अन्वेषण अभिकरण" के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।
- (तीन) खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 16 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 232(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) का.आ.1764(अ) जो दिनांक 16 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्रत्यायित निजी अन्वेषण अभिकरणों को अधिसूचित करने के दिशानिर्देशों के अनुसार मेसर्स हिंदमेटल एक्सप्लोरेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को उसमें उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यक्षीन "श्रेणी 'क' अन्वेषण अभिकरण" के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।
- (पांच) खनिज (नीलामी) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 23 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.255(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 12 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.382(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) का.आ.2744(अ) जो दिनांक 19 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 2 मार्च, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.169(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (आठ) का.आ.2745(अ) जो दिनांक 19 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 7 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.284(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (नौ) का.आ.3326(अ) जो दिनांक 18 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 7 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.285(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दस) का.आ.3327(अ) जो दिनांक 18 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 29 अगस्त, 2022 की अधिसूचना संख्या का.आ.4038(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (ग्यारह) खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 21 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.486(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 3044/18/25]

- (2) अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 35 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) का.आ.1806(अ) जो दिनांक 21 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 5 नवम्बर, 2024 की अधिसूचना संख्या का.आ.4819(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दो) अपतट क्षेत्र परमाणु खनिज संक्रिया संबंधी अधिकार नियम, 2025 जो दिनांक 14 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.468(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) अपतट क्षेत्र खनिज (नीलामी) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 14 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.311(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 3045/18/25]

? (व्यवधान)

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (SHRI GEORGE KURIAN):** With your permission, I rise to lay on the Table a copy of the Unified Waqf Management,

Empowerment, Efficiency and Development Rules, 2025 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.442? in Gazette of India dated 3<sup>rd</sup> July, 2025 under sub-section (3) of Section 108B of the Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development, Act 1995.

[Placed in Library, See No. LT 3046/18/25]

---

? (*Interruptions*)